

विकास आयुक्त कार्यालय

छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (DDU-GKY Cell)



ब्लाक-4, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक-38 (C-IV), इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.
फोन नं. - 0771-2511736 / 2510745, फैक्स नं.- 0771-4280175,
ईमेल-ddugky.cg@gmail.com/mdcgslm@gmail.com



क. 7968/वि-6 / NRLM / DDU-GKY / 2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 / 10 / 2019

प्रति,

Leelas Foundation For Education and Health

Corporate Office: Near Teachers Colony,

Rss University Campus,

Raipur- Chhattisgarh- 492001

विषय :- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु ट्रेड एवं लक्ष्य की स्वीकृति विषयक।

संदर्भ :- PRN- (CG2015CR3909) /Proposal Code - CG2015CR390920190330CG1010095

विषयांतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) अंतर्गत दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटी की सत्रहवीं बैठक में आपके आवेदन की समीक्षा उपरांत निम्नानुसार लक्ष्य एवं ट्रेड स्वीकृत किया गया है-

Name of PIA	S.No.	Sector	Trade of Certification	Target
LEELAS FOUNDATION FOR EDUCATION AND HEALTH CG2015CR390920190330 CG1010095 (Roshni)	1	Healthcare	Emergency Medical Technician - Basic	245
	2	Healthcare	Operating Theatre Technician	105
				350

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 11.09.2019 के अनुसार NCVT के समस्त MES Courses को Retired कर उनके स्थान पर SSC Courses को Align किया गया है।
2. उपरोक्त स्वीकृत Courses में से यदि MES Courses स्वीकृत किये गये है तो उन्हें SSC Align Courses में संशोधित कर MRIGS Portal पर जमा करे। उक्त प्रयोजन हेतु आपको 10.11.2019 तक MRIGS Portal पर Edit Right दिए जा रहे है।
3. PAC द्वारा स्वीकृत ट्रेडवार लक्ष्य के संशोधन की कार्यवाही उपरांत निर्धारित प्रारूप में विस्तृत स्वीकृति आदेश कुल परियोजना लागत की गणना कर जारी किया जावेगा।
4. MoU निष्पादित किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

25/10/19

अतः कृपया स्वीकृति के अनुपालन में प्रशिक्षण संपादन हेतु प्रारंभिक तैयारियां बैंक गारंटी, शपथ-पत्र, किरायानामा, अनुबंध की कार्यवाही हेतु वांछित दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण, बोर्ड रेज्यूलेशन, पॉवर ऑफ एटर्नी फॉर सिग्नेटरी आदि की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जावे।

25/10/19
अभिजीत सिंह (IAS)
मिशन संचालक,

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

पृ.क्रमांक-7869 वि-6 / NRLM / DDU-GKY / 2019 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव (स्किल्स), डीडीयू-जीकेवाई, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेस (NABCONS), नाबार्ड बिल्डींग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।

मिशन संचालक,

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

Documents Required for MoU

1. Copy of the sanction order
2. Letter of acceptance for standard term and conditions.
3. Letter of acceptance for special term and conditions.
4. Consortium Partner Documents if applicable and Consortium Agreement.
5. Affidavit in original regarding authorized signatory for signing of MoU on behalf of your agency
6. Board resolution authorization for the signatory to the MoU
7. Expenditure budget for 25% advance.
8. Details of bank account exclusively opened for the MoRD Project. Certificate from the bank that the account is CPSMS (PFMS) enabled. Send screenshot of the account.
9. Cancelled cheque of dedicated Bank account
10. Letter of appointment of Periodical Auditor
11. Letter of appointment of Annual Auditor
12. Bank Guarantee 6.25% of total project cost.
13. PPWS (Target breakup monthwise district wise)
14. Project Execution readiness form.
15. Ring-Fencing-Compliance report from the management signed by authorized signatory.
16. Rent/Lease agreement (Training center and Hostel Facilities)
17. Pan Card and TAN No. of the company.
18. Power of attorney for authorized signatory of consortium partner.
19. Board Resolution for Consortium Partner.
20. Affidavit for DDR & Commencement.